

## ORDER - SHEET

Case no 37of/2017.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09.12.2017	<p>प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर उप0।</p> <p>अभियुक्तगण महेश एवं नवल सहित श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता उप0।</p> <p>फरियादी वासुदेव एवं शीलाबाई सहित श्री हरिशंकर शुक्ला अधिवक्ता उप0।</p> <p>उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु डॉकेट भरकर प्रस्तुत किया। यह भी व्यक्त किया कि प्रकरण में पूर्व में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत है और फरियादी वासुदेव एवं शीलादेवी के राजीनामे के संबंध में कथन भी हो चुके हैं।</p> <p>उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण का अध्ययन किया गया।</p> <p>पूर्व में दिनांक 10.10.2017 को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया था एवं वासुदेव एवं शीलादेवी के कथन लिये गये थे। वासुदेव एवं शीलादेवी ने व्यक्त किया है कि उन्होंने स्वेच्छापूर्वक राजीनामा किया है। अभियुक्तगण उनके पुत्र है। वे राजीनामे से सहमत हैं। फरियादी पक्ष को श्री हरिशंकर शुक्ला एवं अभियुक्तगण को श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ने पहचाना है। अतः राजीनामा विधिवत प्रकट होता है।</p> <p>राजीनामा लोक नीति के विरुद्ध न होने के कारण स्वीकार किया गया। उक्त राजीनामे के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। जिसका परिणाम धारा 323 भा.द.स. के तहत अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण की ओर से 800/- 800/- रुपए की राशि कुल राशि 1600/- रुपए विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करायी गयी है। उक्त राशि अभियुक्तगण को वापिस की जावे। जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।</p>	

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर प्रेषित की जावे।

उभयपक्ष को आदेश की प्रति निशुल्क प्रदान की जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

(महेशचन्द्र श्रीवास्वत) (पुष्पराज सिंह गुर्जर) (मोहम्मद अजहर)  
सदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
खण्डपीठ क्र. 20

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)